संख्या-437/2020/2485/22-2-2019-17(106)/2016

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुराग शर्मा पुत्र श्री केशवसरन शर्मा निवासी जनपद-अमरोहा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनुराग शर्मा पुत्र श्री केशवसरन शर्मा, मो0 कायस्थान, थाना-हसनपुर, जनपद-अमरोहा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.06.2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कूट रचित नोट बनाकर व बाजार में चलाने में संलिप्त पाया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-434/2006 में भा0द0वि0 की धारा-489(क), 489(ग), 489(घ), 489(ड) के अन्तर्गत मा0 अपर जिला न्यायाधीश एफ0टी0सी0-प्रथम, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 08.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2013 द्वारा यथावत रखा गया। एक अन्य वाद सत्र परीक्षण संख्या-673/2004 में भा0द0वि0 की धारा-489, 489ए, 489बी, 489सी, 489डी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-03, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 23.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2019 तक 12 वर्ष 09 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 05 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का कोई अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अनुराग शर्मा (बन्दी संख्या-47429) पुत्र श्री केशवसरन शर्मा निवासी जनपद-अमरोहा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-437/2020/2485(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in